संख्या-145 /2024/3002/22-2-2023-17(146)/2019

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2024

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्हे लाल पुत्र श्री भजन लाल, निवासी जनपद-एटा हाल निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23256/प्रो0(6)/227(स्वतंत्रता दिवस 2023), दिनांक 17.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्हे लाल पुत्र श्री भजन लाल ग्राम-मानकपुर नागलिया जिला-एटा हाल निवासी-सरस्वती विहार, खोडा कालोनी थाना-सैक्टर-58, नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 03-03-1998 को कु0 ममता आयु (साढे चार वर्ष) के साथ बलात्कार किया और ऐसा करने के लिये वह उसे टाफी दिलाने के बहाने बहला फुसला कर ले गया और उसका व्यपहरण किया और यह व्यपहरण उसने उसके साथ बलात्कार करने की नियत से किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1269/1998 में भा0द0वि0 की धारा-363] 366] 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-13 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.04.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक 25 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 33 वर्ष 02 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा 04 वर्षीय कु0 ममता नामक अबोध बालिका के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नन्हे लाल पुत्र श्री भजन लाल की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्हे लाल (बन्दी संख्या-5884) पुत्र श्री भजन लाल, निवासी जनपद-एटा हाल निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-145/2024/3002(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

2- पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार गाजियाबाद को अवमानना वाद (सिविल) सं0-583/2024 नन्हे लाल बनाम राजेश कुमार सिंह अन्तर्गत रिट याचिका सं-488/2021 इम्तियाज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सहबद्ध रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं उक्त अवमानना वाद (सि0)-558/2024 कल्लन एवं अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य के साथ सूचीबद्ध होने के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।